भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3426

(जिसका उत्तर सोमवार, 15 जुलाई, 2019/24, आषाढ़, 1941 (शक) को दिया गया)

बहु-राष्ट्रीय लेखा फर्मों का गैर-कानूनी प्रचालन

3426. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

श्री सय्यद ईमत्याज ज़लीलः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश की बहुराष्ट्रीय लेखा फर्मों के कथित गैर-कानूनी प्रचालन की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी फर्मों को खोजने और दंडित करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): जी, हां। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2018 की 2422 में दिनांक 23.02.2018 के पारित आदेश के अनुसरण में, सरकार ने बहु-राष्ट्रीय लेखांकन फर्मों (एमएएफ) से संबंधित सांविधिक और अन्य मुद्दों की जांच करने के लिए संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में 20.04.2018 को तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति (सीओई) गठित की। 25.10.2018 को विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सरकार तथा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट **http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/2018_CommitteeExperts_Report_08112018.pdf** पर भी उपलब्ध है।

(ग) से (ङ): लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों की उच्च गुणवत्ता स्थापित करके और कंपनियों तथा निकाय कारपोरेट द्वारा निष्पादित लेखांकन कार्यों की कारगर निगरानी करके एवं कंपनियों और निकाय कारपोरेट की कतिपय श्रेणियों के बारे में लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा कार्यों को निष्पादित करके कंपनियों अथवा निकाय कारपोरेट से संबद्ध निवेशकों, लेनदारों तथा अन्य के सार्वजनिक हितों के संरक्षण हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के अधीन 01 अक्तूबर, 2018 को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) का गठन किया गया है।

एनएफआरए नियम, 2018 को भी दिनांक 13 नवम्बर, 2018 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है।

****